भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4550
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन

4550. श्री अनिल फिरोजिया :
श्री आलोक शर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी की तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र हो;
(ख) क्या माता-पिता दोनों की मृत्यु के बाद के तलाक की स्थिति में पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद विधवा या तलाकशुदा होने पर बेटी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में और बाद में जारी दिनांक 26.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 1/1(1)/2022-पीएंडपीडब्ल्यू(ई) में विभिन्न उपबंधों को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के अंतर्गत कवर किए गए मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा/विधवा पुत्री को उसके क्रमानुसार कुटुंब पेंशन मिले। इन उपबंधों के संदर्भ में जैसाकि नीचे वर्णित है, रेलवे और रक्षा कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए पृथक नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार:

जहां कुटुंब पेंशन के लिए, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का कोई विधवा या विधुर अथवा पात्र पुत्र या पुत्री उत्तरजीवी ना हों अथवा उनकी मृत्यु हो जाए या उपरोक्त नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाए और कुटुंब पेंशन पाने के लिए कोई पात्र नि:शक्त बच्चा ना हो, तो पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या पुनर्विवाह होने तक या उसके आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, शर्तों के अध्यधीन, जैसे अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे, कुटुंब पेंशन अनुज्ञात होगी या कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, विधवा पुत्री की दशा में उसके पति की मृत्यु और तलाकशुदा पुत्री की दशा में उसका तलाक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो या तलाक की कार्यवाही सक्षम अदालत में चल रही हो।

*****